पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बुधवार, 12 नवम्बर, 2025 ई0

कार्तिक 21, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–5

संख्या– 344218/XXVIII(5)/2025–(E–74471)

देहरादून, 12 नवम्बर, 2025

प्रोन्नति–विज्ञप्ति

एतद्द्वारा सचिव, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून के पत्र सं0–उ0चि0से0च0बो0/परी0/03/2024–25/695 दिनांक 23 सितम्बर, 2025 के माध्यम से प्राप्त संस्तुति के क्रम में निम्नलिखित एसोसिएट प्रोफेसर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोफेसर के पद पर (वेतनमान रू0 1,44,200–2,18,200, लेबल–14) पदोन्नत करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम–4 से कॉलम–5 में अंकित नवीन तैनाती स्थल पर पदस्थापित किया जाता है :–

क्र0सं0	संकाय सदस्य का नाम	विभाग का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नवीन पदस्थापना स्थल
1	2	3	4	5
1	डॉ0 पूनम कुमारी	फिजियोलॉजी	रा0मे0का0 हरिद्वार	रा0मे0का0 हरिद्वार
2	डॉ0 रेनू गुलवानी	फार्माकोलॉजी	रा0मे0का0 देहरादून	रा0मे0का0 हरिद्वार

2– चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली, 2014 के भाग–06 नियम–20 के अधीन उपरोक्त पदोन्नत संकाय सदस्य 02 वर्ष की परिवीक्षा की अवधि में रहेंगे।

3– प्रोन्नति राज्यसात किये जाने की दशा में संबंधित संकाय सदस्यों के विरूद्ध शासनादेश संख्या–872/XXXVII(7)न0प्रति0/2010 दिनांक 08 मार्च, 2011 एवं शासनादेश सं0–11/XXXVII(7)30(14/2017 दिनांक 07 फरवरी, 2017 तथा परित्याग नियमावली, 2020 में निहित प्राविधानानुसार कार्यवाही की जायेगी।

4– नव पदोन्नत संकाय सदस्यों को नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने पर ही पदोन्नति का लाभ अनुमन्य होगा।

डॉ0 आर0 राजेश कुमार,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 09/चिकित्सा/491–2025–100+50 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।